| |
|---|
| दिनांक 17.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 382/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## आरटीसी (Reducing Traffic Congestion) योजना से उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नरेटों में ट्रैफिक जाम में उल्लेखनीय कमी, रियल-टाइम AI आधारित निगरानी से यातायात प्रबंधन को मिली नई दिशा

**माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश** के संकल्प को साकार करने की दिशा में, जिसके अंतर्गत प्रदेशवासियों को सुरक्षित, सुगम एवं समयबद्ध यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में एक अभिनव एवं तकनीक-आधारित पहल "RTC (Reducing Traffic Congestion)" का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा अपर पुलिस महानिदेशक, यातायात **श्री ए. सतीश गणेश** के निर्देशन में संचालित यह योजना आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) एवं रियल-टाइम डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए प्रदेश के प्रमुख शहरों में यातायात प्रबंधन को एक नई दिशा प्रदान कर रही है।

## क्या है RTC (Reducing Traffic Congestion) योजना?

RTC उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित **देश की अपनी तरह की प्रथम AI-सक्षम, Google आधारित Real-Time Traffic Analytics प्रणाली** है, जिसका उद्देश्य ट्रैफिक जाम की पहचान करना, उसका तत्काल विश्लेषण करना तथा न्यूनतम समय में प्रभावी हस्तक्षेप (Intervention) कर यातायात को सामान्य बनाना है।

आरटीसी योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार यातायात जाम का आकलन केवल अनुभव अथवा दृश्य निरीक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि **वैज्ञानिक एवं परिमाणात्मक (Quantifiable) मानकों** के आधार पर किया जा रहा है। प्रत्येक मार्ग के वास्तविक यात्रा समय, औसत यात्रा समय तथा समय विलंब का सतत विश्लेषण कर यातायात जाम को मापनीय (Measurable) मानदंड के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी परिमाणात्मक विश्लेषण के आधार पर लक्षित एवं त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

इस प्रणाली में Google आधारित वास्तविक समय (Real-Time) ट्रैफिक डेटा का प्रत्येक घण्टे में 02 Automatic विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक चिन्हित मार्ग (Route) का सामान्य परिस्थितियों में **औसत यात्रा समय (Average Travel Time)** निर्धारित किया गया है। जैसे ही किसी मार्ग पर वास्तविक समय (Real-Time) में यात्रा अवधि सामान्य औसत समय से अधिक हो जाती है, **Gati-UP AI प्लेटफॉर्म स्वतः उस मार्ग को Red Flag कर देता है।** RTC योजना ने पारंपरिक "जाम लगने के बाद कार्रवाई" की व्यवस्था को बदलकर **Predictive एवं Real-Time Traffic Management** की आधुनिक प्रणाली विकसित की है।

अब ट्रैफिक का मूल्यांकन केवल चालान अथवा वाहन संख्या के आधार पर नहीं, बल्कि **आम नागरिक द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने में लगने वाले वास्तविक यात्रा समय (Travel Time)** के आधार पर किया जा रहा है।

यह प्रणाली प्रतिदिन हजारों ट्रैफिक डेटा बिंदुओं का विश्लेषण कर अधिकारियों को उन मार्गों की तत्काल सूचना उपलब्ध कराती है जहाँ हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

## पुलिस कमिश्नरेटों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

आरटीसी (Reducing Traffic Congestion) योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस कमिश्नरेटों में कुल **74 प्रमुख मार्गों**, जिनकी कुल लंबाई लगभग **710 किलोमीटर** है, पर वास्तविक समय आधारित सतत निगरानी एवं यातायात विश्लेषण किया जा रहा है। मार्च से जुलाई 2026 (15 जुलाई तक) की अवधि के तुलनात्मक विश्लेषण से स्पष्ट है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से यातायात जाम में उल्लेखनीय कमी आई है। प्रयागराज में **44.92 प्रतिशत**, गाजियाबाद में **43.15 प्रतिशत**, वाराणसी में **20.75 प्रतिशत**, लखनऊ में **13.67 प्रतिशत**, कानपुर में **13.19 प्रतिशत**, आगरा में **10.99 प्रतिशत** एवं नोएडा में**10 . 1 प्रतिशत** की कमी दर्ज होना इस बात का प्रमाण है RTC के अंतर्गत अपनाई गई वास्तविक **मार्गों का वैज्ञानिक चिन्हीकरण (Route Identification), यात्रा समय विश्लेषण (Travel Time Analysis), जाम वाले बिंदुओं का मानचित्रण (Congestion Mapping), रूट मार्शल व्यवस्था, प्रत्येक मार्ग के लिए उत्तरदायी अधिकारी (Area of Responsibility), डेटा आधारित दैनिक समीक्षा तथा इंजीनियरिंग, प्रवर्तन एवं अतिक्रमण हटाने जैसे लक्षित हस्तक्षेप** के माध्यम से उत्तर प्रदेश में यातायात प्रबंधन पारंपरिक प्रतिक्रिया आधारित प्रणाली से आगे बढ़कर **आंकड़ा-आधारित, वैज्ञानिक एवं परिणामोन्मुख व्यवस्था** के रूप में विकसित हुआ है।

RTC योजना ने उत्तर प्रदेश में पारंपरिक यातायात प्रबंधन प्रणाली को आधुनिक **Data Driven Governance** में परिवर्तित किया है ।

इस प्रणाली से नागरिकों के यात्रा समय में कमी, **ईंधन की बचत**, अनावश्यक जाम में कमी, **प्रदूषण नियंत्रण** तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही पुलिस संसाधनों का वैज्ञानिक एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो रहा है।

यातायात निदेशालय का उद्देश्य केवल यातायात जाम कम करना नहीं, बल्कि **सुरक्षित, स्मार्ट, नागरिक-केंद्रित एवं तकनीक आधारित यातायात व्यवस्था** स्थापित करना है। इसी उद्देश्य से RTC मॉडल का चरणबद्ध विस्तार प्रदेश के अन्य शहरों एवं जनपदों में भी किया जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश **AI आधारित स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन** के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और अधिक सुदृढ़ कर सके।

| दिनांक 17.07.2026 |
|---|
| प्रेस विज्ञप्ति 383/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**कमिश्नरेट कानपुर नगर/थाना चकेरी**

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 16.07.2026 को थाना चकेरी व सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुरूग्राम, हरियाणा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अवधेश सिंह को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना चकेरी, कानपुर नगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर के थाना चकेरी पर लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चकेरी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अवधेश सिंह निवासी न्यू आजाद नगर थाना चकेरी कानपुर नगर हालपता–फ्लैट नं0–306 सिग्नेचर ग्लोबल अपार्टमेंट सेक्टर 10 गुरूग्राम, हरियाणा।

**जनपद गोण्डा/थाना वजीरगंज**

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.07.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजासगरा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना वजीरगंज पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–विकास निवासी ग्राम अहिरनपुरवा जगदीशपुर कटरा थाना वजीरगंज, गोण्डा।

## जनपद संतकबीरनगर/थाना दुधारा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 17.07.2026 को थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौवागांव पेट्रोलपम्प के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अभिषेक को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दुधारा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–अभिषेक निवासी ग्राम गुदी थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती।

## जनपद बस्ती/थाना हरैया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 32 हजार 200 रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.07.2026 को थाना हरैया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बभनान रोड के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुजीत घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–जगतू 3–सर्वेश 4–रामजी 5–सुधाकर सहित गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग

07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 32 हजार 200 रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना हरैया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रामजी के विरूद्ध जनपद हरदोई, सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 20 अभियोग, अभियुक्त जगतू के विरूद्ध जनपद खीरी, सीतापुर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 08 अभियोग एवं अभियुक्त सुजीत के विरूद्ध जनपद सीतापुर, हरदोई के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, आबकारी एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना हरैया पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–जगतू निवासी सर्जुपुरवा थाना सकरन जनपद सीतापुर।

2–सर्वेश निवासी लोनियांपुरवा थाना विस्वा जनपद सीतापुर।

3–रामजी निवासी कुरसंडा थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

4–सुधाकर निवासी सरजूपुरवा थाना सकरन जनपद सीतापुर।

5–सुजीत निवासी सिंहपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर।

**बरामदगी**

1–लगभग 07 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण।

2–चोरी के 32 हजार 200 रूपये नगद।

3–04 मोबाइल फोन।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

5–02 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद बाराबंकी/थाना रामनगर**

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख 25 हजार 300 रूपये नगद**
- **चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 17.07.2026 को थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुराना हाईवे के पास से अभियुक्त विवेक उर्फ गोलू उर्फ बिछी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 06 लाख 25 हजार 300 रूपये नगद, चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.07.2026 को थाना रामनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–विवेक उर्फ गोलू उर्फ बिछी निवासी ग्राम रसूलपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव।

**बरामदगी**

1–चोरी के 06 लाख 25 हजार 300 रूपये नगद।

2–चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण आदि।

**जनपद मुजफ्फरनगर/थाना बुढाना**

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 17.07.2026 को थाना बुढाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विज्ञाना मार्ग के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ

कार्यवाही में अभियुक्त 1–राजू उर्फ नेपाली उर्फ योगेश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–अनिल 3–आसिफ उर्फ कमाल उर्फ दादा 4–मोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त राजू उर्फ नेपाली उर्फ योगेश के विरूद्ध जनपद रायबरेली, मुजफ्फरनगर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 10 अभियोग, अभियुक्त अनिल के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग एवं अभियुक्त आसिफ उर्फ कमाल उर्फ दादा के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व झारखण्ड एवं वेस्ट बंगाल के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना बुढाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–राजू उर्फ नेपाली उर्फ योगेश निवासी जी–11 संजय नगर थाना रानीपुर जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

2–अनिल निवासी जटापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

3–आसिफ उर्फ कमाल उर्फ दादा निवासी अड्डा कॉलोनी थाना आसनसोल उत्तर जनपद पश्चिम वर्धमान बंगाल।

4–मोहित निवासी रेलवे स्टेशन गौरी शंकर क्वार्टर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

**<u>बरामदगी</u>**

1–चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

## जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 28 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 640 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनांक 17.07.2026 को थाना झिंझाना पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 02 अभियुक्तों 1–जावेद 2–सादिक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 28 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 640 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–जावेद निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली।

2–सादिक निवासी बरनावी थाना कैराना जनपद शामली।

**बरामदगी**

1–लगभग 01 करोड़ 28 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 640 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को मृत्युदण्ड व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अजीत 2–सूरज उर्फ काला 3–अनिल 4–सुनील को मृत्युदण्ड व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद एटा/थाना निधौली कला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना निधौली कला पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–पंचम उर्फ पंछी को धारा 302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 30

हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–भूपेन्द्र उर्फ विनोद 3–हरेन्द्र 4–मनोज को धारा 302 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25–25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना हल्दी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 85 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना हल्दी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201/394/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रवीण उर्फ भोलू 2–संजीत 3–सोनू उर्फ अमन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 85 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को कठोर आजीवन कारावास की सजा व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद खीरी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद खीरी द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–दिनेश कुमार 2–अच्छेलाल को कठोर आजीवन कारावास व 30–30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

| |
|---|
| दिनांक 17.07.2026 |
| प्रेस विज्ञप्ति 384/2026 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 17.07.2026 को **भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की अयोध्या इकाई** द्वारा विशाल कुमार तिवारी निवासी ग्राम खेरौना दुर्गापुर रोड थाना अमेठी जनपद अमेठी (शिकायतकर्ता की माँ) से सेवानिवृत्ति के उपरान्त अर्जित अवकाश, जीएस, ग्रेज्यूटी, पेंशन आदि का समस्त भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक हरिओम मिश्रा के नेतृत्व में सीएमओ कार्यालय अमेठी स्थित कमरा नं0-13 प्रथम तल से **वरिष्ठ सहायक संजय कुमार मिश्रा (कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी अमेठी)** पुत्र स्व0 आद्या प्रसाद मिश्रा निवासी बिगैहिया थाना सोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज को **50 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

————————